उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1791 – स० प्र० वि० – 26 / पाकालि / 13 – 11 स०प्र०वि० / 99 दिनांक 16 अगस्त, 2013

प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
प्रबन्ध निदेशक, मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ
प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर
प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

विषय :- उत्तराखण्ड त्रासदी हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में 01 दिन के वेतन की धनराशि का योगदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विगत जून माह में उत्तराखण्ड राज्य में घटित त्रासदी से भारी जान–माल का नुकसान हुआ है, जिसके प्रति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सहानुभूति है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस त्रासदी को झेल रहे प्रदेशवासियों की मदद में अपना सहयोग प्रदान करें।

2. अतः इस निमित्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी अपने माह–अगस्त, 2013 के वेतन से 01 दिन के वेतन (वेतन + ग्रेड–पे) के बराबर की राशि की कटौती उत्तराखण्ड त्रासदी हेतु **उ०प्र० मुख्यमंत्री सहायता कोष** में जमा करने हेतु अपना सहयोग देगें, जिसके लिये समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्तानुसार 01 दिवस का वेतन प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी के वेतन से काटना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा यह कटौती नहीं करायी जानी है, तो इसके लिये उनके द्वारा लिखित असहमति दिनांक 24 अगस्त, 2013 तक सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस विषय में सहयोग की धनराशि भेजने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

(क) सहयोग की धनराशि महाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के नाम बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से विलम्बतम दिनांक 09.09.2013 तक प्रेषित की जायेगी।

(ख) प्रत्येक विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने स्तर से क्षेत्रीय इकाईयों से कटौती की धनराशि प्राप्त कर महाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को भेजी जायेगी।

(ग) सहयोग की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अशोक मार्ग शाखा, लखनऊ में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के **खाता सं० 10101985319** (आई०एफ०एस०सी० कोड – SBIN0003347) में सीधे जमा की जा सकती है, जिसकी सूचना अलग से मुख्यालय को भेजी जानी होगी।

(घ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इकाईयों द्वारा सहयोग की धनराशि उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से महाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(च) **उ०प्र० पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि०** की इकाईयों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से काटी गई धनराशि का स्थानान्तरण विवरण सहित उपमुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मुख्यालय), उ०प्र० पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि० को यू०पी० पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि०

(क्रमशः.......2)

के भारतीय स्टेट बैंक, अशोक मार्ग शाखा, लखनऊ स्थित खाता सं० 30231982762 (आई०एफ०एस०सी० कोड – SBIN0003347) में दिनांक 09.09.2013 तक भेजा जायेगा। समस्त प्राप्त धनराशि उपमुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मुख्यालय) द्वारा एकमुश्त धनराशि चेक के माध्यम से महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को दिनांक 09.09.2013 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(छ) उपरोक्तानुसार भेजी गई धनराशि के साथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के नामों की सूची (कटौती की धनराशि उनके नाम के सम्मुख इंगित करते हुए) भी प्रेषित की जायेगी।

(ज) मुख्यालय स्थित अधिकारी सहयोग की धनराशि की कटौती अपने मासिक वेतन बीजक से स्वयं कर सकते हैं।

भवदीय
पी० सी० गुप्ता
16/08/13
(पी०सी०गुप्ता)
अपर सचिव (का०प्र०–तृतीय)

सं० 1791 – स०प्र०वि०–26 / पाकालि / 2013 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
पी० सी० गुप्ता
16/08/13
(पी०सी०गुप्ता)
अपर सचिव (का०प्र०–तृतीय)